एस0सी0 / एस0टी0–156 / 2018

त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या–217 / 2016

दिनांक–01.11.2018

काराधीन अभियुक्त देबन यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उन्होनें कोई अपराध नही किया है, प्रार्थी घटना तिथि को गॉव मे भी नही था, प्रार्थी को घटना की तिथि से पहले ही पेट मे दर्द होता था और उसका ऑपरेशन किया गया जिसके कारण उसे पेट के बगल मे पाईप लगाकर पॉलीथिन मे पैखाना कराया जाता है तथा उसी स्थिति मे गिरप्तार कर लाया गया है, स्पश्ट है कि प्रार्थी जेल मे रहने की स्थिति मे नही है, प्रार्थी के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है अन्य सह अभियुक्त सीता देवी, गणिता देवी एवं सदानन्द यादव को जमानत दिया जा चूका है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किये लेकिन अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए स्वीकार किये कि अभियुक्त की स्थिति ठीक नही है।

प्रस्तूत वाद सूचिका भावानी देवी के लिखित आवेदन के प्रार्थी सहित कुल–05 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–341, 323, 379, 504, 506, 307 / 34 भा0 द0 वि0 एवं धारा–3(X) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या–217 / 2016 दर्ज किया गया। जिसमे सूचिका का कहना है कि सूचिका ग्राम–लतौना वार्ड नं0–01 मे रहती है तथा सूचिका के पति मेहनत मजदूरी करके पुरे परिवार का परवरिश करते है। वार्ड नं0–01 मे सूचिका के ससुर ने सरकारी जमीन मे भूमिहीन होने के कारण 25–30 वर्ष पूर्व ही रहने के लिए घर बनाया, जिस घर मे सूचिका अपने ससुर के निधन के बाद सपरिवार रहती आ रही है। जिसमे से एक पुत्री का शादी भी हो चूका है तथा पिछले एक साल से वह सूचिका के घर मे रही है। सूचिका के घर से सटे दक्षिण एवं पश्चिम की ओर अभियुक्तगण भी एक साथ रहते आ रहे है। अभियुक्तगण कभी नही चाहे की सूचिका का परिवार बगल मे रहे। सूचिका के पति को जान मारने के नियत से सदानन्द यादव दिनांक–08.07.2015 को भी उनके उपर चाकू से वार किया जिस संबंध मे थाना को लिखित सूचना भी दी गयी थी। कई बार सूचिका के पति एवं मेरे परिवार को भागाने एवं परेशान करने के बावजूद जब सदानन्द यादव वगैरह को सफलता नही मिली तब पुनः एक गंभीर घटना घटी। सूचिका, पति पुत्र पुराने घर के जगह नये घर का निर्माण कार्य कर रहे थे तो अचानक अभियुक्तगण सूचिका के पति एवं पुत्र के पास पहूॅच कर घर बनाने से रोका, जिसका विरोध करने पर सदानन्द यादव ने रड से सूचिका के पुत्र को मार कर गिरा दिया। सूचिका के पति जब बचाने पहूॅचे तो देबन यादव ने लाठी चलाना शुरू किया जिससे सूचिका पुत्र एंव पति का सर फट गया। मोका पाकर विकास यादव ने सूचिका के पति के उपर जान मारने के नियत से दबिया चला दिया। मारपीट होने के बाद सूचिका ग्रामीणों के सहायता से सूचिका अपने पति एवं पुत्र को रेफरल अस्पताल ले गये। सूचिका के अनुपस्थिति मे सदानन्द यादव की बेटी

गणिता देवी एवं पत्नी सीता देवी ने सूचिका के बेटी के बक्सा को तोड़कर दस हजार रूपया तथा चांदी का चैन एवं पायल के साथ–साथ पॉच पीस साड़ी निकाल कर भाग गयी।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के विरूद्ध लाठी चलाने का आरोप है, जिससे सूचिका के पुत्र और पति का सर पटने के बारे मे कहा गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–57 मे सूचिका के पुत्र और पति का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमे चिकित्सक ने सभी जख्मों को साधारण प्रकृति का बताया है। प्रार्थी को देखने से भी प्रतीत होता है कि उनके पेट मे पाईप लगाकर पॉलिथीन लगाया गया है और उसका ऑपरेशन हुआ है जो स्वतः चलने फिरने मे भी असमर्थ है अन्य सह अभियुक्त सीता देवी, गणिता देवी एवं सदानन्द यादव को जमानत दिया जा चूका है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोंचित समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी की और से शपथ–पत्र और जमानतदार का रसीद भी नही है इसलिए औपबंधिक रूप से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहीत में स्वीकृत किया जाता है। अतः प्रार्थी की और से मो0 10,000/– रूपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि जमानतदार नवीन बंध पत्र के साथ कगजात दाखिल करे या आज उपस्थित जमानतदार का शपथ–पत्र एवं सम्मपति के संबंध मे कागजात दाखिल करे या अभियुक्त का जामानत सम्पूष्ट किया जाऐगा। तथा

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

सुपौल